<u>न्यायालयः अति. सैशन न्यायाधीश, क्रम–04 जयपुर जिला,जयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी ::   सुश्री नीतू भारद्वाज, आर.जे.एस

<u>आपराधिक निगरानी संख्या 01/24 (49/23)</u>
<u>एन.सी.वी –52/23</u>
<u>CNRRJJD010029952023</u>

1. लालचंद गर्ग पुत्र दुर्गालाल गर्ग, आयु–83 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 924, चुरूकों का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर, राज.।

–निगरानीकर्ता

ब ना म

1. राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, जयपुर महानगर, जयपुर।

2. रामकरण मीणा पुत्र बद्रीनारायण मीणा, निवासी 35ए, मदर टेरेसा नगर, सवाई गेटोर, पुलिस थाना–जवाहर सर्किल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

3. लादूराम मीणा पुत्र कानाराम मीणा, निवासी 34ए, मदर टेरेसा नगर, सवाई गेटोर, पुलिस थाना–जवाहर सर्किल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

4. रामनारायण मीणा पुत्र लाला मीणा, निवासी मदर टेरेसा नगर, सवाई गेटोर, पुलिस थाना जवाहर सर्किल, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राज0।

–गैरनिगरानीकार

आपराधिक निगरानी विरूद्व पारित आदेश दिनांक 31–08–2023 द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2 जयपुर जिला,जयपुर द्वारा जो फौजदारी प्रकरण संख्या–599/2018 सरकार बनाम रामकरण मीणा अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितः

1. निगरानीकर्तागण की ओर से– विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश गौड
2. राज्य की ओर से– विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार शर्मा
3. गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार शर्मा
4. गैर निगरानीकर्ता संख्या–4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

<u>आदेश</u>   दिनांकः 20–06–2026

1. निगरानीकर्ता लालचंद गर्ग की ओर से यह आपराधिक निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला,जयपुर में

लंबित प्रकरण संख्या–599/2018 सरकार बनाम रामकरण मीणा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 31–08–2023 से व्यथित होकर माननीय सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष दिनांक 21–10–2023 को पेश की गई जहां से अंतरित होकर यह निगरानी दिनांक 09–01–2024 को इस न्यायालय को विधिवत निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई।

2. निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश गौड की ओर से दौराने बहस तर्क रहा कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मूल प्रकरण में दस्तावेज पेश किए गए थे, जिनमें लालचंद के बयान कराये जाते समय प्रदर्श डाले गए थे, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निस्तारित करते समय यह नोट अंकित कराया कि –'' दस्तावेज प्रदर्श पी–26 व पी–27 को साक्ष्य में ग्राह्य करने की अनुमति नहीं दी जा जाती है। अतः अभियुक्तगण उक्त दस्तावेज के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछे।'' विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया उक्त आदेश विधि विरूद्ध है जिन दस्तावेज के संबंध में यह नोट अंकित कराया गया है वे आवेदन पेश करने पर न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए थे। एक बार प्रदर्श डल जाने के पश्चात् उसे कानूनन डिलिट नहीं किया जा सकता है साथ ही उक्त दस्तावेज के संबंध में आपत्ति उठाने का अधिकार भी नहीं रह जाता है। दस्तावेज प्रदर्श पी–26 व पी–27 प्रमाणित प्रतिलिपि पर डाले गए हैं, जो साक्ष्य में ग्राह्य है। अंत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 31–08–2023 विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किए जाने का निवेदन किया है।

3. गैर निगरनीकर्ता संख्या–1 की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–08–2023 को विधिसम्मत होना व उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होना जाहिर किया है। अंत में उक्त आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं होने से निगरानी याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4. गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 व 3 की ओर से कोई बहस नहीं करना चाहा है एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या–4 अनुपस्थित है।

5. बहस निगरानी सुनी गई, विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश व पत्रावली का अवलोकन किया ।

6. उक्त निगरानी याचिका को निस्तारित करने हेतु निम्न अवधार्य बिन्दु सुनिश्चित किया जाना न्यायोचित है:–

आया विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 31–08–2023 वैध, शुद्ध व औचित्यपूर्ण है?

7. उक्त अवधार्य बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि गैर निगरानीकर्तागण के विरूद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष धारा–448,427 सपठित 34 भा0दं0सं0 के अपराध में अन्वीक्षा चल रही है एवं दौराने अन्वीक्षा पी.डब्ल्यू–1 निगरानीकर्ता / लालचंद की साक्ष्य लेखबद्ध करने के दौरान दस्तावेज प्रदर्श पी–26 व पी–27 को साक्ष्य में ग्राह्य करने की अनुमति नहीं दिए जाने के आदेश दिनांक 31–08–2023 से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी याचिका पेश की गई है। उक्त आदेश के संदर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 16–09–2019 द्वारा केवल मात्र एक दस्तावेज दिनांक 27–02–2017 को रिकॉर्ड पर लेने हेतु आदेशित किया गया था तथा शेष दो अन्य दस्तावेज दिनांकित 25–01–2020, 03–11–2011 के संबंध में न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर लेने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में जिन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर न्यायालय द्वारा नहीं लिया गया, उनकों प्रदर्शित कराया जाना स्पष्ट तौर पर विधि अनुरूप नहीं रह जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 31–08–2023 में अभियोजन के द्वारा सहवन से प्रदर्श पी–26 व प्रदर्श पी–27 को प्रदर्शित कराया जाना अंकित किया है और इसके अनुसरण में विचारण न्यायालय द्वारा पी.डब्ल्यू–1 लालचंद की जिरह के दौरान नोट अंकित किया गया है।

8. इसके अतिरिक्त विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 31–08–2023 निगरानीकर्ता के अधिकारों को अंतिम तौर पर निस्तारित नहीं करता है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने जो आदेश दिनांक

31–08–2023 को पारित किया है, वह किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण, अवैध एवं अशुद्ध होना नहीं पाया जाता है, विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विधि सम्मत होने के साथ–साथ क्षेत्राधिकारिता के परे जाकर पारित नहीं किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है, जिस कारण निगरानीकर्ता की निगरानीयाचिका खारिज किए जाने योग्य है।

आ दे श

9. निष्कर्षतः निगरानीकर्ता लालचंद गर्ग की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांक 31–08–2023 की पुष्टि की जाती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली आदेश की प्रति सहित अविलम्ब विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(नीतू भारद्वाज)
अति. सैशन न्यायाधीश, क्रम–04
जयपुर जिला,जयपुर

10. उक्त आदेश आज दिनांक 20–06–2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में प्रसारित किया गया।

(नीतू भारद्वाज)
अति. सैशन न्यायाधीश, क्रम–04
जयपुर जिला,जयपुर